20

नगर और मलिन बस्तियाँ

(CITIES AND SLUMS)

नगरीकरण और औद्योगीकरण ने जहाँ व्यक्ति को विज्ञान, शिक्षा, तकनीकी ज्ञान और एक अच्छी वैज्ञानिक समझ दी है वहीं करोड़ों व्यक्तियों को नारकीय जीवन व्यतीत करने के लिए भी विवश किया है। नारकीय जीवन को मलिन बस्तियों में देखा जा सकता है। एक छोटी-सी झोपड़ी, कच्चे मकान अथवा एक कोठरी में 10 से 15 व्यक्ति तक रहते हैं। इन बस्तियों में एक झुग्गीवासी को इतना भी स्थान नहीं मिलता कि वह वहाँ खाना बना सके, रात में सो सके और अपना खाली समय व्यतीत कर सके। जल के निकास का यहाँ कोई प्रबन्ध नहीं होता है। पानी यहाँ सड़ता रहता है। कूड़े-कचरे का ढेर यहाँ लगा रहता है। शौच आदि जाने के लिए यहाँ कोई स्थान नहीं होता है। बैठने के लिए इनके पास कोई खुला स्थान नहीं होता है। तंग-संकरी मलिन बस्तियाँ जहाँ जीवन कम और बीमारियाँ अधिक लगती हैं। पीले, मुर्झाये चेहरे, चिपके गाल, उभरती हड्डियाँ, फटे-गन्दे कपड़े यहाँ की पहचान होती है। इन्हें पता नहीं कि ये कब जवान हुए और कब बूढ़े हो गए। ये टी.बी. व कैंसर से ग्रस्त होते हैं। ये तो मौत के मुँह में जन्म लेते हैं। इनका जिन्दा रहना और मरना जैसे समाज के लिए कोई मायने नहीं रखता।

मलिन बस्तियों में सुधार हेतु गठित परामर्श समिति के अनुसार औद्योगिक नगरों में 7 से 8 % लोग इन मलिन बस्तियों में रहते हैं। मात्र कोलकाता में 8 लाख लोग मलिन बस्तियों में रहते हैं। एक अनुमान के अनुसार लगभग एक करोड़ 50 लाख लोग मलिन बस्तियों में निवास करते हैं। ये आंकड़े दिन-प्रति-दिन बढ़ते ही जा रहे हैं क्योंकि जनसंख्या का दबाव नगरों पर अधिक है और उनके अनुपात में यहाँ मकान उपलबध नहीं होते हैं।

मलिन बस्तियों के अलग-अलग नगरों में अलग-अलग नाम हैं, जैसे–**कोलकाता में *'बस्ती'*, मुम्बई में *'चाल'* या *'झोपड़पट्टी'*, दिल्ली में *'बस्ती'*, चेन्नई में *'पेरी'* और कानपुर में *'आहाता'* कहते हैं।** कानपुर की मलिन बस्तियों को देखकर नेहरु ने एक बार कहा था–**"ये मलिन बस्तियाँ मानवता के पतन की पराकाष्ठा की प्रतीक हैं। जो व्यक्ति इन मलिन बस्तियों के लिए उत्तरदायी हैं, उन्हें फाँसी दे दी जानी चाहिए।"**

Scanned with CamScanner

मलिन बस्तियों का अर्थ और इसके विविध स्वरूप
(Meaning and Various Forms of Slums)

मलिन बस्ती (Slums) का सामान्य अर्थ प्रत्येक तरह की जर्जर आवास व्यवस्था और गन्दगी युक्त पर्यावरण और वातावरण से है। मलिन बस्तियों की सामान्य परिभाषा करना अत्यन्त कठिन है क्योंकि प्रत्येक देश की आर्थिक स्थिति के अनुरूप ही मलिन बस्तियाँ स्थापित होती हैं। विस्तृत अर्थ में **मलिन बस्तियाँ निर्धन व्यक्तियों के रहने के वे स्थान हैं जहाँ वे स्वयं झोपड़ियाँ, केबिन, बाँस अथवा लकड़ी के छोटे-छोटे मकान बनाकर रहते हैं। ये मकान उनके अपने भी होते हैं और इन मकानों में उनके किरायेदार भी रहते हैं। विदेशों में एक कमरे वाली अनेक बस्तियाँ भी मलिन बस्तियों के अन्तर्गत आती हैं और छह मंजिलें मकानों वाले क्षेत्र भी मलिन बस्तियों में आते हैं।**

आवास की समस्या ने नई मलिन बस्तियों के स्थापित होने में जहाँ सहायता की है वहीं असंख्य जर्जर मकान जिन्हें छोड़कर व्यक्ति अच्छे मकानों में चला गया है, ये जर्जर छोड़े हुए घरों में असंख्य निर्धन-व्यक्ति रहने लगे हैं जिसने मलिन बस्ती का रूप धारण कर लिया है। इस तरह नई मलिन बस्तियाँ स्थापित होती जा रही हैं और पुरानी मलिन बस्तियों के निर्धन व्यक्ति इसलिए उसे नहीं छोड़ते कि इससे सस्ता घर नगर में कही उसे उपलब्ध नहीं होता है।

एशिया और **दक्षिणी अफ्रीका** की स्थिति तो यह है कि मलिन बस्तियों के घर व्यक्ति उन चीजों से बनाता है जिसे व्यक्ति कूड़ा कचरा समझकर फेंक देते हैं। **भारत में ऐसी मलिन बस्तियाँ नाले, नदी, रेलवे लाइन की पटरियों आदि स्थानों पर सरलता से देखी जा सकती हैं।** मलिन बस्तियों के लिए कोई निश्चित पर्यावरण निर्धारित करना कठिन है। यह कहीं भी विकसित हो सकती हैं।

फिलीपाइन्स में यह दलदली क्षेत्रों में, छोटे-छोटे पहाड़ी क्षेत्रों में, और युद्ध में जो स्थान नष्ट हो गए थे, वहाँ भी मलिन बस्तियाँ स्थापित हो गई हैं। **लेटिन अमेरिका** में छोटे-छोटे पहाड़ों की ढलान पर मलिन बस्तियाँ हैं। **कराची** में कब्रिस्तान और सड़क के किनारे इन्हें देखा जा सकता है। **रावलपिन्डी** और **दक्षिणी स्पेन** में प्राचीन गुफाओं में इन्हें देखा जा सकते हैं।

भारत के विभिन्न नगरों में भी इन्हें विविध रूपों में देखा जा सकता है। **दिल्ली, मुम्बई, कोलकाता, चेन्नई, अहमदाबाद, कानपुर, नागपुर आदि में एक कमरे की अंधेरी कोठरियों की मलिन बस्तियों की संख्या अत्यधिक है।**

उपर्युक्त विवेचना से यह स्पष्ट है कि मलिन बस्तियों के स्वरूप में विविधतायें हैं। प्रत्येक देश की मलिन बस्तियों का अपना-अपना स्वरूप है, किन्तु उसका पर्यावरण और रहने की दशायें लगभग एक-समान हैं। इनमें निवास करने वाले व्यक्ति निर्धन, बेरोजगार, नशाखोर, बीमार, विभिन्न छोटे-बड़े अपराधों में लिप्त और कम आय वाले व्यक्ति हैं जिनका न कोई मकान है और न मकान होने की आशा।

मलिन बस्तियाँ निर्मित होने के कारण
(Causes of Formation of Slums)

मलिन बस्तियों का जन्म अचानक नहीं हो गया है, वरन् इनकी पृष्ठभूमि में अनेक पोषक तत्त्व हैं जो इसकी वृद्धि के कारण बने हैं। ये निम्नलिखित हैं–

Scanned with CamScanner

1. निर्धनता–निर्धनता एक अभिशाप है। निर्धन व्यक्ति के लिए यह भू-लोक ही नरक है। निर्धन, बेरोजगार, दैनिक वेतन भोगी श्रमिक ये सब उस वर्ग के व्यक्ति हैं जो कठोर परिश्रम करने के पश्चात् भी दो समय का भोजन अपने परिवार को नहीं दे पाते है। फिर ये महंगे किराये के मकान कैसे ले सकते हैं? न ये किराये के मकान ले सकते हैं और न ये अपना मकान बना सकते हैं। अभावों में जीना इनकी मजबूरी है। मलिन बस्तियाँ को इन्होंने ही बसाया है। ये ही वहाँ रहते हैं।

2. नगर में आवास समस्या–नगरों में भूमि सीमित है और माँग अत्यधिक है। भूमि का मूल्य भी यहाँ आकाश को छूता जा रहा है। सामान्य व्यक्ति भूमि क्रय करके नगर में मकान नहीं बना सकता। अधिकांश व्यक्ति किराये के मकानों में रहते हैं। नगर में किराये के मकान भी सामान्य व्यक्ति नहीं ले सकता है। लाखों श्रमिक जिनके साधन और आय सीमित है, उन्हें विवश होकर मलिन बस्तियों में रहना पड़ता है। मकान कम हैं और रहने वाले व्यक्ति कहीं अधिक हैं। परिणामस्वरूप मलिन बस्तियों में निरन्तर वृद्धि होती जा रही है।

3. नगरीय जनसंख्या का दबाव–मलिन बस्तियाँ औद्योगिक नगरों की देन हैं। यहाँ लाखों ग्रामीण व्यक्ति काम की खोज में आते हैं और यहीं बस जाते हैं। उनकी आय इतनी नहीं होती कि वह अच्छे मकानों में रह सकें। सीमित आय और साधनों का अभाव उन्हें मलिन बस्तियों में रहने के लिए विवश करता है।

4. औद्योगिक क्रांति–मलिन बस्तियों की उत्पत्ति में औद्योगिक क्रांति की महत्त्वपूर्ण भूमिका है। औद्योगिक नगर में जीविका के अनेक विकल्प उपस्थित होते हैं। लाखों की संख्या में ग्रामीण-व्यक्ति यहाँ अधिक से अधिक धन अर्जित करने की कल्पना संजोए आते हैं, परन्तु उसे यहाँ निराश ही हाथ लगती है। वह मिल, फैक्टरी, कारखाने या और किसी प्रकार का श्रम करके अपना पेट भरता है। निर्धनता उसका साथ नहीं छोड़ती है। इस औद्योगिक महानगरीय सभ्यता और संस्कृति में उसे तो मलिन बस्तियों में रहना ही है। उसके पास इसके अतिरिक्त विकल्प ही क्या है?

5. शोषणीय प्रवृत्ति–उत्पादन का महत्त्वपूर्ण अंग होने के बावजूद श्रमिक, मलिन-बस्तियों में रहता है और मालिक वातानुकूलित बंगलों और महलों में। पूंजीवादी व्यवस्था की यह बुनियादी नीति है कि आम आदमी को रोजी-रोटी की परेशानियों में फंसाये रखो। भूखा व्यक्ति अपने परिवार के पेट भरने की चिन्ता पहले करता है और कुछ बाद में। इसलिए उसे अभाव में जीने दो जिससे कि वह सदैव मालिकों का दास बनकर रहे।

6. अशिक्षा और जागरूकता का अभाव–अशिक्षा और जागरूकता के अभाव ने मलिन बस्तियों के विकास में वृद्धि की है। वे व्यक्ति जो निर्धनता के शिकार हैं, वे मलिन बस्तियों की गंदगी से भी अनभिज्ञ हैं। जहाँ सुविधायें नाम को भी नहीं हैं और बीमारियाँ और सामाजिक बुराइयाँ असीमित हैं फिर भी वे यहाँ इसलिए रहते हैं क्योंकि उन्हें यहाँ नाममात्र का किराया देना पड़ता है अथवा विवशता में वे स्वयं झोपड़ी बनाकर यहाँ रहने लगते हैं।

7. जनसंख्या में अत्यधिक वृद्धि–नगर और महानगरों की जनसंख्या कई-कई लाख तक पहुँच गई। दिल्ली, मुम्बई और कोलकाता की जनसंख्या करोड़ों में पहुँच गई है। इतनी बड़ी

Scanned with CamScanner

जनसंख्या के अनुपात में मकानों का निर्माण नहीं हुआ है। श्रमिक कालोनियाँ नाममात्र की हैं। लाखों ग्रामीण जो इन महानगरों में कार्य करने आते हैं। वे इन्हीं मलिन बस्तियों में शरण पाते हैं। नगर के अन्दर और नगर से दूर इन मलिन बस्तियों में निरन्तर वृद्धि होती जा रही है। इसका मुख्य कारण है निरन्तर बढ़ती हुई जनसंख्या का दबाव।

8. **गतिशीलता में वृद्धि**–पहले व्यक्ति को अपनी गाँव की जमीन और घर से बहुत लगाव था। वह किसी भी दशा में अपना गाँव, कस्बा छोड़ना नहीं चाहता था, किन्तु औद्योगिक क्रांति और आवागमन की सुविधाओं ने व्यक्ति को नगरों में काम खोजने और नौकरी करने के लिए प्रेरित किया। नित्य लाखों की संख्या में व्यक्ति गाँव से नगर, एक नगर से दूसरे नगर और नगर से महानगर में काम की तलाश में जाते हैं। इतने व्यक्तियों के रहने का स्थान कोई भी नगर अचानक कैसे बना सकता है। इसलिए ये मलिन बस्तियों की शरण में जाते हैं। वहीं रहते हैं। इस तरह मलिन बस्तियों का विकास निरन्तर होता जाता है।

9. **नगरों में पर्याप्त सुरक्षा**–गाँव छोड़कर ग्रामीण इसलिए भी नगर आ रहे हैं क्योंकि वहाँ सुरक्षा नाम की कोई चीज नहीं है। गाँव में चोरी और डकैती सामान्य बात है। डकैतों का बढ़ता हुआ आतंक ग्रामीणों को गाँव छोड़ने के लिए विवश करता है। नगरों में प्रशासनिक व्यवस्था, पुलिस फोर्स और कई स्थानीय निकाय होते हैं जो कानून और नियमों द्वारा जनता के जानमाल की रक्षा करते हैं। इसलिए नगरों की जनसंख्या की वृद्धि के साथ-साथ मलिन बस्तियों में भी वृद्धि होती जाती है।

10. **प्राकृतिक प्रकोप**–भारतीय गाँव सदैव प्राकृतिक प्रकोपों के शिकार रहे हैं। कभी सूखा, कभी बाढ़, कभी पाला तो कभी ओलावृष्टि। ये सभी प्राकृतिक प्रकोप कृषि को नष्ट करते हैं। कृषि ग्रामीणों की आय का मुख्य साधन है। कृषि के नष्ट होने के कारण ग्रामीण नगरों में काम करने आते हैं। ये सब मिलकर नगरों में मलिन बस्तियों को विकसित करते हैं और नई मलिन बस्तियों को भी स्थापित करते हैं

11. **ग्रामीण बेरोजगारी**–गाँवों में वर्ष भर ग्रामीणों को काम नहीं मिलता और शेष महीनों में वे बेराजगार रहते हैं। इसलिए खेती के समय तो ग्रामीण व्यक्ति गाँव में उपलब्ध रहता है और उसके बाद वह नगरों में काम करने आ जाता है। इनमें से अधिकांश व्यक्ति रिक्शा चालक, ठेले खींचने वाले, खोमचा लगाने वाले या मिल में श्रमिक होते हैं अथवा कोई छोटा-मोटा कार्य करके अपनी जीविका अर्जित करते हैं। उनमें से अधिकांश व्यक्ति मलिन बस्तियों में रहते हैं।

12. **नगर नियोजन का अभाव**–नगरों में मलिन बस्तियों का यदि विकास हो रहा है तो इसका बहुत कुछ उत्तदायित्व नगरपालिका और सरकार पर है। यदि नगर का विकास सुनियोजित और योजनाबद्ध ढंग से किया जाता तो मलिन बस्तियों का विकास शायद इस रूप में सम्भव न हो पाता।

13. **मलिन बस्तियों की उपेक्षा**–मलिन बस्तियाँ व्यक्तिगत सम्पत्ति भी हैं। सैकड़ों झुग्गी-झोपड़ियों, चेरी और आहातों के मालिक हैं। इन्हें किराये से मतलब है। किन दशाओं में व्यक्ति जीता और मरता है इससे इनका कोई सम्बन्ध नहीं है। यदि सरकार इन पर दबाव डालकर इन मलिन बस्तियों की सफाई कराए तो शायद यहाँ इतनी गन्दगी न रह पाए।

Scanned with CamScanner

मलिन बस्तियों के दुष्परिणाम
(Bad Consequences of Slums)

मलिन बस्तियों के दुष्परिणाम निम्न बिन्दुओं के आधार पर समझे जा सकते हैं–

1. **गोपनीयता का अभाव**–मलिन बस्ती एक वह स्थान है जहाँ कमरों में भीड़ रहती है और व्यक्ति एकान्त के लिए व्याकुल रहता है। एक-एक कमरे में 10 से 15 तक व्यक्ति रहते है। इनके बीच कुछ भी गोपनीय नहीं रहता। बच्चे बुरी आदतों को ग्रहण कर लेते हैं।

2. **गम्भीर बीमारियों के केन्द्र**–मलिन बस्ती गन्दगी और बीमारियों का केन्द्र होती है। यहाँ सब कुछ प्रदूषित होता है। यहाँ न शुद्ध जल मिलता है, न वायु और न वातावरण। यहाँ क्षय रोग सामान्य बात है। पेचिस, डायरिया तथा ऐसे ही भंयकर रोग यहाँ देखे जा सकते हैं।

3. **अपराध के केन्द्र**–चरस, गांजा, स्मैक कच्ची शराब बेचने के ये प्रमुख अड्डे हैं। साथ ही जुआ खेलना और अनैतिक यौन-सम्बन्धों का व्यापार यहाँ खुले-आम चलता है। यहाँ चोर, डकैत, आतंकवादी तक शरण लेते हैं।

4. **बाल-अपराधों के केन्द्र-स्थल**–मलिन बस्तियों में बच्चे सामाजिक बुराइयों के मध्य जन्म लेते हैं और ये सहज ही बुराइयों को अपना लेते हैं। असामाजिक कार्यों में लगे लोग बच्चों के माध्यम से ही चरस, गांजा और कच्ची शराब बेचने का कार्य करते हैं। ये बच्चे ही अनैतिक यौन सम्बन्धों की दलाली भी करते हैं। जुओं के अड्डों की देख-रेख करते हैं। इन्हें जेब काटने, चोरी करने, मोबाइल, फोन व चैन आदि झपटने की बाकायदा ट्रेनिंग दी जाती है। आगे चलकर ये बड़े अपराधी बनते हैं।

5. **वैयक्तिक और पारिवारिक विघटन**–यहाँ व्यक्तित्व और परिवार का निर्माण नहीं होता। अधिकांश परिवार अपनी आवश्यकताओं को पूर्ण करने के लिए उचित व अनुचित सभी प्रकार के कार्य करते हैं। शराब, जुआ, अनैतिक यौनं सम्बन्ध, चोरी आदि व्यक्ति को जहाँ नष्ट करते हैं वहीं परिवार को भी विघटित करते हैं।

6. **सामाजिक विघटन**–ये वे स्थान हैं जहाँ सामाजिक आदर्श, मूल्य, नैतिकता, सहिष्णुता आदि के दर्शन नहीं होते। ये अपनी आवश्यकता पूर्ति के लिए कुछ भी सही-गलत करने के लिए तैयार रहते हैं। पैसा देकर इनसे कुछ भी नैतिक-अनैतिक कार्य कराया जा सकता है। अराजकता, साम्प्रदायिकता फैलाने और दंगा कराने के लिए इन्हें खरीदा जा सकता है। इस प्रकार के कार्यों से समाज विघटित होता है।

मलिन बस्तियों की व्याख्या करते हुए **डॉ. राधाकमल मुकर्जी** ने लिखा है, **"औद्योगिक केन्द्रों की हजारों मलिन बस्तियों ने मनुष्यत्व को पशु बना दिया है। यहाँ नारीत्व का अनादर होता है और बाल्यावस्था को आरम्भ में ही विषाक्त किया जाता है। ग्रामीण सामाजिक संहिता श्रमिकों को, औद्योगिक केन्द्रों में अपनी पत्नियों के साथ रखने के लिए हतोत्साहित करती हैं। ऐसे देश मे जहाँ कम आयु में विवाह प्रचलित है, वहाँ युवा श्रमिक, जिसने अपना वैवाहिक जीवन प्रारम्भ ही किया हो, नगर के आकर्षण से प्रभावित होता है।"**

औद्योगिक श्रमिकों की दयनीय दशा और उनके स्वास्थ्य को ध्यान में रखकर केन्द्र तथा राज्य सरकारों को उनकी आवास समस्या पर गम्भीरता से विचार करना चाहिए। मलिन बस्तियों के निराकरण और सुधार की ओर विशेष और प्राथमिकता के आधार पर ध्यान देना चाहिए।

Scanned with CamScanner

मलिन बस्तियों के निराकरण और सुधार के लिए सरकारी प्रयास (Govt. Efforts to Eradicate and Reform of Slums)

नगर और महानगरों की जनसंख्या में निरन्तर वृद्धि हो रही है। अनेक प्रकार के उद्योगों के केन्द्र नगर बनते जा रहे हैं। यहाँ जनसंख्या का घनत्व अत्यधिक है। जिस अनुपात में नगरों की जनसंख्या बढ़ रही है उस अनुपात में मकानों का निर्माण नहीं हो रहा है। इसलिए यहाँ के अधिकांश श्रमिक मलिन बस्तियों में निवास करते हैं। सड़कों और नालों के किनारे झोपड़ी डालकर रहते हैं। एक अनुमान के अनुसार भारत में 500 लाख आवासीय इकाइयों की कमी है। इस गम्भीर आवासीय समस्या से निपटने के लिए सरकार ने गरीब और कमजोर वर्ग के लोगों के लिए कम लागत के मकान बनाने, मलिन बस्तियों को हटाने, उनमें आवश्यक सुधार एवं विकास करने के लिए कई महत्त्वपूर्ण कदम उठाएँ हैं जिनका विवरण निम्नलिखित है–

1. मलिन बस्तियाँ के विकास का राष्ट्रीय कार्यक्रम–मलिन बस्तियों के सुधार और विकास का राष्ट्रीय कार्यक्रम (एन.एस.डी.पी.) अगस्त, 1996 में शुरू किया गया। इस कार्यक्रम के अन्तर्गत शहरी इलाकों में मलिन झुग्गी बस्तियों के विकास के लिए राज्यों और केन्द्रशासित प्रदेशों को अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता दी जाती है। इस कार्यक्रम का उद्देश्य शहरी क्षेत्र की झुग्गी बस्तियों में जल-आपूर्ति, बरसाती पानी की निकासी के लिए नालियाँ, सामुदायिक स्नानागार, संकरे रास्तों को चौड़ा करना, सामुदायिक शौचालयों और सीवरों तथा सड़कों की बत्तियों आदि सुविधाएँ उपलब्ध करवाकर इन बस्तियों में जीवन-स्तर को बेहतर बनाना है। एन.एस.डी.पी. के अन्तर्गत मिले धन का उपयोग सामुदायिक जरूरतों तथा स्कूल-पूर्व-शिक्षा, अनौपचारिक शिक्षा, प्रौढ़ शिक्षा, प्रसूति, बाल स्वास्थ्य, टीकाकरण सहित प्राथमिक स्वास्थ्य सुविधाओं आदि सामाजिक सुविधाओं के लिए किया जा सकता है। इस कार्यक्रम में रैन-बसेरों के स्तर में सुधार या नए मकानों का निर्माण शामिल है।

इस कार्यक्रम के तहत राज्यों और केन्द्रशासित प्रदेशों की झुग्गी बस्ती की आबादी के आधार पर योजना आयोग द्वारा वार्षिक रूप से अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता के तौर पर निधि आवंटित की जाती है। वित्त मंत्रालय इस कार्यक्रम के तहत राज्यों को निधि जारी करते हैं, शहरी रोजगार एवं गरीबी-उन्मूलन मंत्रालय को राज्यों में कार्यक्रम की प्रगति की निगरानी के लिए एक नोडल मंत्रालय मनोनीति किया गया है। राज्यों और केन्द्रशासित प्रदेशों के अनुसार, इस कार्यक्रम की शुरूआत से लेकर **31 मार्च, 2005 तक केन्द्र सरकार द्वारा जारी 3,089.63 करोड़ रुपये की कुल निधि में से 2,130.09 करोड़ रुपये खर्च किए गए और इस कार्यक्रम से करीब 4.12 करोड़ मलिन झुग्गी बस्ती निवासियों को लाभ पहुंचा।**

2. स्वर्ण जयन्ती शहरी रोजगार योजना–शहरी गरीबी उन्मूलन की तीनों योजनाओं–गरीबों के लिए शहरी बुनियादी सुविधाएं, नेहरू रोजगार योजना और प्रधानमंत्री के समेकित शहरी गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम का एक साथ विलय कर 1 दिसम्बर, 1997 से एक नई योजना *'स्वर्ण जयन्ती शहरी रोजगार योजना'* शुरू की गई। इस योजना के तहत दिहाड़ी रोजगार के प्रावधान या स्वयं का उद्यम स्थापित करने को प्रोत्साहन देकर शहरी बेरोजगारों या अर्द्ध-बेरोजगार गरीबों को लाभकारी रोजगार उपलब्ध कराए जाते हैं। यह कार्यक्रम सामुदायिक संरचनाओं/सृजन पर आधारित है। इस योजना में केन्द्र और राज्य 75:25 के अनुपात में योगदान करते हैं। योजना में दो विशेष कार्यक्रम शामिल हैं–(i) शहरी स्वरोजगार कार्यक्रम और (ii) शहरी

Scanned with CamScanner

दिहाड़ी रोजगार कार्यक्रम। **वर्ष 2004-05 के दौरान शहरी स्वरोजगार कार्यक्रम के लिए 70.54 करोड़ रुपये जारी किए गए। इसके अलावा स्वर्ण जयन्ती शहरी रोजगार योजना के अन्तर्गत सामुदायिक संरचना के लिए 12.24 करोड़ रुपये जारी किए गए।**

3. **शहरी दिहाड़ी रोजगार कार्यक्रम**–इस कार्यक्रम के तहत शहरी निकायों के दायरे में गरीबी रेखा से नीचे रह रहे लोगों को लाभकारी सार्वजनिक परिसम्पत्तियों तथा सामाजिक-आर्थिक परिसम्पत्तियों के निर्माण में उनके श्रम का उपयोग कर उन्हें लाभ पहुंचाया जाता है। शैक्षिक योग्यता की कोई पाबंदी नहीं है। यह कार्यक्रम ऐसे स्थानीय शहरी निकायों में लागू है, जहाँ की आबादी 1991 की जनगणना के अनुसार 5 लाख से कम है। कार्यक्रम के तहत सामग्री और श्रमिक का अनुपात 60:40 रखा जाएगा। लाभार्थियों को हर क्षेत्र के लिए समय-समय पर अधिसूचित न्यूनतम दिहाड़ी दी जाती है। इस कार्यक्रम को राज्य क्षेत्र की झुग्गी बस्तियों के पर्यावरण सुधार कार्यक्रम तथा झुग्गी बस्तियों के सुधार के राष्ट्रीय कार्यक्रम के साथ संयोजित किया जाता है। इस कार्यक्रम को उपरोक्त दोनों कार्यक्रमों या राज्य क्षेत्र की किसी अन्य योजना के विकल्प के रूप में तैयार नहीं किया गया है। **31 मार्च, 2005 तक इस कार्यक्रम के अन्तर्गत कुल 549.23 लाख श्रम-दिवसों में रोजगार सृजित किया गया।**

4. **वाल्मीकि अम्बेडकर आवास योजना**–वाल्मीकि अम्बेडकर आवास योजना (*वाम्बेय*) केन्द्र की एक नई योजना है। इसका उद्देश्य झुग्गी-झोपड़ी में रहने वाले उन शहरी लोगों की स्थिति में सुधार करना है, जो गरीबी रेखा के नीचे जीवन-यापन कर रहे हैं और जिनके पास उपयुक्त आश्रय स्थल नहीं है। यह योजना प्रधानमंत्री द्वारा हैदराबाद में 2 दिसम्बर, 2001 को शुरू की गई। इस योजना का पहला उद्देश्य झुग्गी बस्तियों में रहने वाले लोगों के लिए आश्रय बनाना तथा मौजूदा आश्रयों को प्रोन्नत कर शहरी वातावरण को स्वस्थ बनाना है। इसके अलावा एक नई उप-योजना *'निर्मल भारत अभियान'* के जरिए ऐसी बस्तियों में सामुदायिक शौचालयों का निर्माण करना भी इस योजना का एक प्रमुख उद्देश्य है। केन्द्र सरकार द्वारा 50 प्रतिशत सब्सिडी वाली, झुग्गी-झोपड़ी वालों के लिए यह अपनी तरह की पहली योजना है। इसमें बाकी 50 प्रतिशत हिस्सा राज्य सरकारों द्वारा वहन किया जाता है। **वर्ष 2005-06 के लिए एक लाख आवास इकाइयों के तयशुदा लक्ष्य की प्राप्ति के लिए वाम्बेय के तहत 249 करोड़ रुपये के बजट का प्रावधान है।**

5. **राष्ट्रीय आवास नीति**–इस नीति का उद्देश्य बेघरों को घर दिलाना, अपर्याप्त सुविधाओं के मकानों में रहने वालों की आवासीय स्थिति में सुधार करना है, इसके साथ ही साथ सभी को अधिकतम आवासीय सुविधाएँ उपलब्ध करवाना है। इस नीति के तहत यह भी स्वीकार किया गया है कि आवास समबन्धी कार्यों में विभिन्न एजन्सियों, सहकारी संघों, समुदाय और निजी क्षेत्रों से भी सहयोग लिया जाए। आवासीय नीति में इस बात पर अधिक बल दिया गया है कि दुर्बल-वर्ग की निवास सम्बन्धी समस्या का हल शीघ्र किया जाए। **नौवीं पंचवर्षीय** योजना में सामाजिक आवास समस्याओं पर अधिक जोर दिया गया है। इस योजना में ग्रामीण क्षेत्रों में योजनाएँ, आवास और शहरी विकास निगम और राष्ट्रीय विकास विकास बैंक की भूमिका को मजबूत करना, बेघरों और पटरियों व पैदल पथ पर निवास करने वालों को मकान और कामकाजी महिलाओं और दस्तकारों के लिए आवास कार्यक्रमों को इसमें शामिल किया गया है। फुटपाथों पर रहने वाले बेघर लोगों के लिए महानगरों और अन्य प्रमुख शहरी केन्द्रों में सरकार द्वारा

Scanned with CamScanner

प्रायोजित *'रैन बसेरा योजना'* पर अमल किया जा रहा है। देश के विभिन्न भागों में *'हुडको'* ने 1991 से 2001 तक ऐसी 101 योजनाओं को मंजूरी दी है जिससे फुटपाथ पर रहने वाले 4 लाख से अधिक लोगों को लाभ पहुँचा है।

आज देश में आवास समस्या के निराकरण के लिए अनेक प्रकार की योजनाएँ कार्यान्वित हैं जिनमें से प्रमुख इस प्रकार हैं–

(i) औद्योगिक श्रमिकों और निर्बल-वर्गों के लिए योजनाएँ,
(ii) बगीचा श्रमिकों के लिए आवास-योजना,
(iii) मध्यम-आय समूह आवास-योजना,
(iv) निम्न-आय समूह आवास-योजना,
(vi) मलिन-बस्तियों की सफाई और विकास की योजना,
(vi) झुग्गी-झोपड़ी हटाने की योजना, और
(vii) मलिन-बस्तियों का परिवेशगत विकास।

इसके अतिरिक्त वर्ल्ड बैंक मलिन बस्तियों में सुधार हेतु भारत सरकार को करोड़ों रुपयों की सहायता कर रहा है। किन्तु जिस अनुपात में जनसंख्या में वृद्धि हो रही है उस अनुपात में आवास समस्या का समाधान हो पाना कठिन है।

क्या 'दिल्ली' जैसे महानगरवासियों का जीवन नरक बनता जा रहा है?
(IS CITY LIFE OF MEGOPOLIS LIKE DELHI IS BECOMING A HELL?)

"किसी भी शहर ने वह सब नहीं सहा होगा जैसा पिछले कुछ वर्षों में 'दिल्ली' के साथ हुआ है। इसे शहरीकरण के एक ऐसे स्वरूप ने अपनी गिरफ्त में जकड़ लिया है जो इसे नष्ट करने पर आमादा हैं। कुछ ऐसी शक्तियाँ हैं जो दिल्ली के नगरीय स्वरूप को हाल-बेहाल कर देना चाहती हैं। विडम्बना यह है कि दिल्ली की बर्बादी की कहानी लिख रहे लोग वे हैं जिन पर शहर की हिफाजत का दायित्व है।" यह कथन है एन.डी.ए. सरकार में रहे केन्द्रीय राज्य शहरी विकास मंत्री श्री जगमोहन का। उन्होंने दिल्ली महानगर के नगरीय जीवन को नरक बना देने के लिए राजनीति में नैतिकता के अभाव को उत्तरदायी ठहराया है। *'दैनिक जागरण,'* के 19 मई, 2006 के अंक (पृ. 8) में छपे अपने लेख में उन्होंने विस्तार से इस बात को उद्घाटित किया है कि शहरीकरण की अवधारणा के विपरीत दिल्ली के मूल स्वरूप को नष्ट करने पर जो लोग आमादा हैं, उसमें मुख्य योगदान **चार समूह के लोगों का है– (1) सार्वजनिक भूमि हथियाने वालों का, (2) अवैध निर्माण करने वालों का, (3) अनधिकृत कालोनियों की स्थापना करने वालों का और (4) रिहाइशी इकाइयों को व्यावसायिक रूप में परिवर्तित करने वालों का।**

इनमें से प्रत्येक समूह ने अपने-अपने तरीके से दिल्ली को बिगाड़ा है। पहले समूह में शामिल लोग वे हैं जो भ्रष्ट राजनीतिक तत्त्वों के साथ साठ-गांठ कर बड़े पैमाने पर सार्वजनिक भूमि पर अनधिकृत कब्जा कर लेते हैं और 'झुग्गी स्वामियों' के सहयोग से भूमि पर झुग्गी-झोपड़ियों के रूप में बस्तियाँ स्थापित करवा देते हैं। झुग्गी-झोपड़ियों के रूप में बसाई गई बस्तियों में अनगिनत रिहाइशी इकाइयाँ होती हैं। इनके अतिरिक्त बड़ी संख्या में व्यावसायिक और औद्योगिक कार्य भी वहां चलते रहते हैं।

Scanned with CamScanner